"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 मार्च 2017— फाल्गुन 18, शक 1938

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक / पं. / 14वें वित्त / 2017 / 395. — छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 144 रायपुर गुरूवार, दिनांक 07–11–2016 – चैत्र 18, शक 1938, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मत्रालय महानदी भवन नया रायपुर दिनांक 31 मार्च 2016 में प्रकाशित अधिसूचना को विलोपित करते हुये छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नया रायपुर, दिनांक क्रमांक क./पं./14वें वित्त/2017/ – राज्य शासन एतद्द्वारा 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कुल आबंटन के 10 प्रतिशत कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदाय करने हेतु कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण की प्रकिया/नियम निम्नानुसार निर्धारित करती है।

14 वें वित्त आयोग अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण हेतु प्रकिया

14वें वित्त आयोग की अवधि 2015–16 से 2019–20 तक (पांच वर्ष) है। 14वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से मूल अनुदान तथा वर्ष 2016–17 से कार्य निष्पादन अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को देने का प्रावधान किया गया है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 9.70 के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का 90 प्रतिशत अनुदान मूल अनुदान एवं 10 प्रतिशत अनुदान कार्य निष्पादन के रूप में प्राप्त होगा। कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित पात्रता प्राप्त करनी होगी :–

1. **अंकेक्षित वार्षिक लेखा** :– आयोग के प्रतिवेदन की बिन्दु संख्या 9.76 के अनुसार निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होंगे जो कि उस वर्ष जिसके लिये ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नहीं होगें।

2. **स्वयं के राजस्व में वृद्धि** :– आयोग के प्रतिवेदन की बिन्दु संख्या 9.76 के अनुसार निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी स्वयं के राजस्व में वृद्धि करनी होगी और यह वृद्धि अंकेक्षण लेखा के माध्यम से परिलक्षित होना चाहिये।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2016–17 कार्य निष्पादन अनुदानों के लिये जरूरी लेखा परीक्षित लेखा वर्ष 2014–15, वर्ष 2017–18 में कार्य निष्पादन अनुदानों के लिये लेखा परीक्षित लेखा वर्ष 2015–16, वर्ष 2018–19 में कार्य निष्पादन अनुदानों के लिये लेखा परीक्षित लेखा वर्ष 2016–17, एवं वर्ष 2019–20 के कार्य निष्पादन अनुदानों हेतु लेखा परीक्षित लेखा वर्ष 2017–18 के होंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के दावे प्रपत्र–01 में तैयार कर जनपद पंचायत को संबंधित वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे दावों को संकलित कर प्रपत्र–02 में जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत को संबंधित वर्ष की 15 जुलाई तक तथा जिला पंचायतें ऐसे दावों को संकलित कर प्रपत्र–03 में पंचायत संचालनालय को 31 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि 31 जुलाई के पश्चात प्राप्त कार्य निष्पादन अनुदान के दावों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

कार्य निष्पादन अनुदान हेतु अंकेक्षित खातों एवं स्वयं के राजस्व में वृद्धि की शर्त पूरी नहीं करने पर या वित्तीय वर्ष में निर्धारित तिथि पर दावा प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित ग्राम पंचायत की कार्य निष्पादन अनुदान राशि पात्रता रखने वाली ग्राम पंचायतों को एक समान (न्याय संगत) रूप से वितरित किया जायेगा।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार कार्य निष्पादन अनुदान की राशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र क्रमांक No. 13;32)FFC/FCD/2015–16 दिनांक 08 अक्टूबर 2015 एवं छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक / 355 / पंग्राविवि / 14वें वित्त / जी.पी.डी.पी. / 2015 दिनांक 19.10.2015 में अंकित दिशा निर्देश के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र इन्ही दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रेषित किये जायेंगे।

हस्ता. / –

(याकुब खेस्स)
उप सचिव.

प्रपत्र–01

14वें वित्त आयोग (कार्य निष्पादन अनुदान) हेतु प्रपत्र

ग्राम पंचायत का नाम.................................जनपद पंचायत का नाम............................जिला.........................

क्र.	ग्राम पंचायत की जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	जिस वर्ष के लिये कार्य निष्पादन अनुदान मांगी जा रही है उस वर्ष में प्राप्त मूल अनुदान की राशि	अंकेक्षणकर्ता का नाम/पद नाम	अंकेक्षण की तिथि	अंकेक्षण वर्ष	अंकेक्षण टीप ग्राम पंचायत को प्राप्त होने की तिथि	अंकेक्षण में दर्शित ग्राम पंचायत की स्वयं की स्त्रोत से आय		पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं की आय की स्त्रोत में अंकेक्षण वर्ष में वृद्धि (राशि रूपये में)		ग्राम पंचायत का खाता क्रमांक	बैंक का नाम
							विगत वर्ष की आय	अंकेक्षण वर्ष में आय	राशि	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

सरपंच
ग्राम पंचायत.......

सचिव
ग्राम पंचायत.......

प्रपत्र–02

14वें वित्त आयोग (कार्य निष्पादन अनुदान) हेतु प्रपत्र

जनपद पंचायत का नाम..जिला...

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत की जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	अंकेक्षण वर्ष	कार्य निष्पादन अनुदान हेतु मांग वर्ष में प्राप्त मूल अनुदान की राशि (लाख में)	अंकेक्षण के आधार पर ग्राम पंचायत की स्वयं की स्त्रोत से आय में वृद्धि			अंकेक्षण के आधार पर कार्य निष्पादन अनुदान हेतु पात्र पंचायत	कार्य निष्पादन हेतु पात्र पंचायत	
					विगत वर्ष की आय	अंकेक्षण वर्ष की आय	आय वृद्धि का प्रतिशत		ग्राम पंचायत का खाता क्रमांक	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत

प्रपत्र–03

14वें वित्त आयोग (कार्य निष्पादन अनुदान) हेतु प्रपत्र

जिला.........................

क्र.	कार्य निष्पादन अनुदान हेतु मांग वर्ष में जिले को प्राप्त मूल अनुदान की कुल राशि	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत की जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	कार्य निष्पादन अनुदान हेतु पात्र पंचायत				रिमार्क
					कार्य निष्पादन अनुदान मांग वर्ष में आबंटित मूल अनुदान की राशि (लाख में)	ग्राम पंचायत का खाता क्रमांक	बैंक का नाम	ग्राम पंचायत को आबंटन हेतु प्रस्तावित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त ग्राम पंचायत कार्य निष्पादन हेतु पात्रता रखता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.